न्यायालय मुन्सिफ

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–16 सन् 2016

विशुन पासवान वो अन्य.....वादीगण।

बनाम

अजय पासवान वो अन्य.....प्रतिवादीगण।

दिनांक–03.01.2023

वादी की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख प्रतिवादी की ओर से आदेश 18 नियम 17 के अंतर्गत दिनांक 11.11.2022 को दाखिल आवेदन पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

प्रतिवादी का आवेदन में कथन है कि प्रस्तुत वाद में आज नियत तिथि है। प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी राजी–रोजगार के सिलसिले में दूसरे राज्य में रहते हैं। जिस कारण साक्ष्य देने हेतु दिनांक 23.09.2022 को न्यायालय में हाजिर नहीं होने के कारण प्रतिवादी का साक्ष्य बंद कर दिया गया है। प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण का साक्ष्य अभी तक नहीं हो सका है जिस कारण आदेश दिनांक 23.09.2022 को रिकॉल करना न्यायहित में अति आवश्यक है। अतः निवेदन है कि आदेश दिनांक 23.09.2022 को रिकॉल करते हुए प्रतिवादीगण को साक्ष्य कराने की अनुमति प्रदान की जाए ताकि न्याय हो सके।

वादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 13.12.2022 को दाखिल कर कथन है कि प्रतिवादी की ओर से दाखिल दिनांक 11.11.2022 का आवेदन मेन्टेनेबुल नहीं है। बल्कि खारिज होने योग्य है। उक्त वाद में प्रतिवादी को बहुत मौका दिया गया परंतु साक्ष्य देने हेतु न्यायालय में जानबूझकर उपस्थित नहीं हुए। प्रतिवादीगण इस वाद में कोई रूची वो दिलचस्पी नहीं है चूंकि अपने आधे हिस्से में पूर्व में ही मकान बना लिया है जो शेष है वादी का है। प्रतिवादी का प्रतिवेदन दिनांक 11.11.2022 नियमतः खारिज के है। अतः निवेदन है कि वादी द्वारा दाखिल प्रतिउत्तर को मंजूर यिका जाए।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादीगण की ओर से न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.09.2022 को रिकॉल करने तथा प्रतिवादी का साक्ष्य देने हेतु दाखिल

किया है। प्रतिवादी का आवेदन में कथन है कि प्रतिवादी रोजगार के सिलसिले में बाहर रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में न्यायालय का आदेश दिनांक 23.09.2022 को रिकॉल करना तथा प्रतिवादी का साक्ष्य हेतु एक मौका देना वाद के सम्यक न्याय निर्णयन के लिए न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रतिवादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 11.11.2022 को 500/—रूपये प्रतिवादी के खर्चा के साथ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनाक 23.09.2022 के आदेश को रिकॉल करते हुए न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। प्रतिवादीगण को निर्देश दिया जाता है कि वे अगले दो तिथियों में अपना साक्ष्य पूर्ण करें तथा खर्च की राशि वादी को प्रदान किया जाए।

वाद दिनांक.....को प्रतिवादी के साक्ष्य हेतु।

मुन्सिफ

सोनपुर सारण।